

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:—पं.दी.उ. पंखवाड़ा / 2025 / 145

प्रकरण सं:—142/2025
दिनांक:— 9/7/25

आदेश

प्राथी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उठाली व मूअ.
नि. शुकी वरातहि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्री बालाजी नगर व
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 में खाता संख्या उठाली
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>श्री बालाजी नगर</u>	<u>39</u>	<u>172/85</u> <u>173/85</u>	<u>चुनाराम</u> s/o <u>दाणाराम</u>	<u>चेनाराम</u> s/o <u>राणाराम</u>
2	<u>उठाली</u>	<u>201</u>	<u>14</u>		

क्रमांक:—सम./2025 / 146-148
प्रतिलिपि:—

(जगदीशसिंह आशिया)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक:— 9/7/25

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्राथी चेनाराम तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

